



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220623
CG-DL-E-22072020-220623

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2119]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ़ 30, 1942

No. 2119]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASADHA 30, 1942

इस्पात मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

विषय: दिनांक 17 जुलाई, 2020 की अधिसूचना का.आ. 2379(अ) का शुद्धि पत्र।

का.आ. 2404(अ).—भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय की दिनांक 17 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2379 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना में पृष्ठ 24 पर क्रम सं. 2 पर तालिका 2 के कॉलम (3) में “खंड 2(ख)” के स्थान पर “खंड 2(ग)” तथा क्रम सं. 3, 4, 5, 6 और 7 पर तालिका 2 के कॉलम (3) पर “खंड 2(ग)” के स्थान पर “खंड 2(घ)” पढ़ा जाए।

[फा.सं. 1(5)/2016-टीडी (खंड. III)]

रसिका चौबे, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st July, 2020

Subject: Corrigendum to Notification S.O. 2379 (E) dated the 17th July, 2020

S.O. 2404(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Steel dated 17th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 2379 (E), dated the 17th July, 2020, in page 44 & 45, in column (3) of Table 2 at Sl. No. 2, for “Clause 2(b)” read “Clause 2(c)” and in column (3) of Table 2 at Sl. Nos. 3, 4, 5, 6 and 7, for “Clause 2(c)” read “Clause 2(d)”.

[F. No. 1(5)/2016-TD (Vol. III)]

RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.